**दिल्ली विकास प्राधिकरण**

दिल्ली विकास  प्राधिकरण की दिनांक 17 फरवरी 2016 को पूर्वाहन 10:00 बजे, राज निवास, दिल्ली में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत।

 बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

**अध्यक्ष**

 श्री नजीब जंग,

 उपराज्यपाल, दिल्ली

**उपाध्यक्ष**

 श्री अरुण गोयल

**सदस्य**

 1.श्री वेंकटेश मोहन

 वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

2. श्री अभय सिन्हा,

 अभियंता सदस्य, दि. वि. प्रा.,

3.श्री डी एस मिश्रा

अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय

4. श्री बी के त्रिपाठी, सदस्य सचिव, एन सी आर पी बी

5. श्री विजेंद्र गुप्ता,विधायक एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विधानसभा के विपक्ष के

नेता,

6. श्री सोमनाथ भारती,विधायक

7. श्री एस.के. बग्गा, विधायक

8. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक

9. श्री सतीश उपाध्याय,

नगर निगम पार्षद,दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

**सचिव**

 श्री डी. सरकार

 आयुक्त एवं सचिव,दि.वि.प्रा.

**विशिष्ट आमंत्रिती एवं वरिष्‍ठ अधिकारी**

1. श्री के के शर्मा,

  मुख्य सचिव, रा. रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार,

2. श्री जे पी अग्रवाल,

 प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान एवं आवास), दि वि प्रा

3. श्री श्रीपाल

प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन, कार्मिक एवं प्रणाली), दि.वि.प्रा.

4. श्री एस सी एल दास,

माननीय उपराज्यपाल ,दिल्ली के सचिव

5. श्रीमती स्वाति शर्मा

उपराज्यपाल, दिल्ली  के अपर सचिव

6. डॉ. (श्रीमती) सिमी मल्होत्रा

 उपराज्यपाल, दिल्ली के परामर्शदाता (मीडिया, अकादमिक,कला, संस्कृति एवं भाषा),

7. श्री अजय चौधरी

उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्याधिकारी,

8. श्री विश्ववेन्द्र

उपराज्यपाल, दिल्ली के निजी सचिव

9. श्री पी के गुप्ता

आयुक्त,उत्तरी दिल्ली नगर निगम

10. श्री मोहनजीत सिंह,

आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

11. श्री पुनीत गोयल

आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

12. श्री ए अनबरासु,

सचिव (शहरी विकास), रा. रा क्षेत्र दिल्ली सरकार

13. श्री केशव चंद्रा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड

14. श्री के के जोद्देर

मुख्य योजनाकार, टी सी पी ओ

15.श्री एस के लोहिया

सी ई ओ ,आई आर एस डी सी

16. श्री एस पी पाठक

आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.

17. श्री एम के गुप्ता

आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा.

18. श्री सुबु आर

आयुक्त (भूमि निपटान), दि.वि.प्रा.

19. श्री अनिल कुमार शर्मा

मुख्य विधिक सलाहकार, दि.वि.प्रा.

20. श्री ए के सिंह

मुख्य अभियंता /पी डी, डी एम आर सी

21. श्रीमती सविता भंडारी

अपर आयुक्त (भूदृश्यांकन), दि.वि.प्रा.

22. श्री अमित कुमार दास

अपर आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.

23. श्री अजय कुमार बिष्ट

विशेष सचिव (पावर), रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

24. श्री एस डी शर्मा

निदेशक,बिजिनेस डेवलपमेंट, डी एम आर सी

25. श्री राजेश कुमार जैन

निदेशक (योजना), दि.वि.प्रा.

26. श्री सुराजित जराधरा

निदेशक (भवन), दि.वि.प्रा.

27. श्री एस दास

निदेशक (योजना)यूटीपैक , दि.विप्रा.

28. श्री एल डी जोशी

उप सचिव (वित्त), रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

29. श्रीमती परोमिता रॉय

उप निदेशक (वास्तुकला), यूटीपैक, दि.वि.प्रा.

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/ अध्यक्ष, दि. वि. प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, वशिष्ट आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

**मद संख्या 01/2016**

**दिनांक 05.11.2015 को राज निवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

**एफ. 2(2)2015/एमसी/डीडीए**

  दिनांक 05.11.2015 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि यथा परिपत्रित की गई।

**मद संख्या 02/2016**

**(i) दिनांक 23.09.2015 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।**

**एफ.2(3)2015/एम सी /डी डी ए**

**(ii) कार्यवृत मद संख्या 60/2015 पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट**

**एफ.20(31)/2014-एम पी**

प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट का उल्लेख किया गया।

**मद संख्या 03/2016**

**फ्लैटों की मानक लागत -1अक्टूबर,2015 से 31 मार्च,2016 तक प्रभावी निर्माण कुरसी क्षेत्रफल की दरें।**

**एफ.21(1671)2001/एच ए सी /पार्ट II**

कार्यवृत मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

**मद संख्या 04/2016**

**एस ओ संख्या 1914(ई)दिनांक 14.07.2015 द्वारा राजपत्रित अधिसूचना में परिवहन (अध्याय 12.0)और दिल्ली शहरी क्षेत्र-2021(अध्याय 3.0)से सम्बंधित संशोधन विकास कोड (अध्याय -17.0)में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संशोधन।**

**एफ 20(7)/2015/एम पी**

कार्यवृत मद अस्थगित की गई।

**मद संख्या 05/2016**

**एस.ओ. संख्या 1914(ई) दिनांक 14.07.2015 द्वारा अधिसूचित दि. मु. यो.-2021के परिवहन अध्याय में दिए गए ड्राफ्ट ट्रांजिट ओरिएंटिड (टी ओ डी)विनयम।**

**एफ 20(7)2015/एम पी /पार्ट -I**

एजेंडा मद 05/16 में शामिल प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमोदित किया गया था:

(i) दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 57 के अंतर्गत आगे की प्रक्रिया के लिए हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) सहित जनता के विचारों को आमंत्रित करने के लिए रेलवे से प्राप्त सुझाव के साथ पैरा 3.1 में दिए गए प्रस्ताव को 30 दिनों की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए तुरंत मंजूरी दे दी गई।

(ii) पैरा 3.2 में दिए गए प्रस्ताव को दिल्ली विकास अधिनियम,1957 की धारा 11 -ए के अंतर्गत प्रसंस्करण के लिए जनता से आपत्ति /सुझाव आमंत्रित करने हेतु अनुमोदित किया गया था।

iii) बाहरी विकास शुल्क (ई डी सी) संबंधित स्थानीय निकाय / रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वसूला आधारिक संरचना के उन्नयन हेतु जाएगा, जो कार्य के कार्यान्वयन के लिए जो भी एजेंसी जिम्मेदार है उस पर निर्भर होगा।

iv) प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाला फ्लोचार्ट भी जोड़ा जाएगा।

**मद संख्या 06/2016**

**वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए दि. वि.प्रा. क्षेत्र में संस्थानिक भूमि प्राशुल्क (इंस्टिट्यूशनल लैंड प्रीमियम) का निर्धारण।**

**एफ 6(4)2007/ए ओ (पी)डी डी ए /वॉल्यूम II**

कार्यवृत में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

श्री सोमनाथ भारती, श्री विजेन्द्र गुप्ता, मुख्य सचिव और रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार , ने आवंटन की कुछ श्रेणियों के संबंध में दरों को कम करने का मुद्दा उठाया। यह निर्णय लिया गया कि वे उपाध्यक्ष , दि.वि.प्रा. को अलग से लिख सकते हैं और उठाए गए मुद्दों को मामले में निर्णय के लिए डीडीए की टिप्पणियों के साथ शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया जाएगा।

**मद संख्या 07/2016**

**जैव विविधता मिशन और जैव विविधता फाउंडेशन की प्रबंधन संरचना।**

**एफ. पी ए /ए सी (एल एस)/डी डी ए /2015/73**

प्राधिकरण के सदस्यों ने डीडीए जैव विविधता पार्कों में किए गए गुणवत्तापूर्ण कार्यों के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने यह भी देखा कि जैव विविधता पार्कों में मल्टी टास्किंग स्टाफ सहित सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य एक विशिष्ट प्रकृति का है।इसलिए, यह आवश्यक है कि इन अद्वितीय और अब, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित अवधि को देखते हुए इन जैव विविधता पार्कों के लिए एक समर्पित कैडर बनाया जाए। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद,एक मिशन मोड में जैव विविधता पार्कों के समर्पित विकास और प्रबंधन के लिए, एक कानूनी ढांचे (लीगल फ्रेमवर्क)के भीतर एक उचित प्रबंधन संरचना और फंडिंग तंत्र के साथ एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) बनाने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव को प्रारंभिक तिथि पर विचार के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए।

**मद संख्या 08/2016**

**मोटल्स के संबंध में दि. मु. यो. -2021 में प्रस्तावित संशोधन।**

**एफ.20(04)/83-एम पी /वॉल. II**

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आपत्तियों / सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाए।

**मद संख्या 09/2016**

**दि. मु. यो.-2021 के एल डी आर ए प्रावधानों में संशोधन / सुधार और मौजूदा फार्म हाउसों के विनियमन के लिए विनियम।**

**एफ 3(103)96/एम पी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया था:-

दिल्ली फायर सर्विसेज के परामर्श से क्लॉज (xi) में प्रस्ताव के पाठ को समय-समय पर अलग से डीडीए द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्रावधान रोड ज्यामिति चित्र को सक्षम करने के लिए संशोधित किया जाना है।

**मद संख्या 10/2016**

**ग्रीन बेल्ट के भाग के रूप में 17 गांवों को दि. मु. यो. -2021 में संशोधन के रूप में शामिल करना।**

**एफ.3(103)96/एम पी /पार्ट –VII**

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

**मद संख्या 11/2016**

**दिल्ली -2016 के लिए एकीकृत भवन उप- विधि (यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉ)।**

**एफ 7(2)13/बल्डिंग**

अपर सचिव (शहरी विकास मंत्रालय) ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 1,50,000 वर्गमीटर तक के भवनों के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय , भारत सरकार ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए स्थानीय निकायों को शक्तियां सौंपने के लिए सहमति व्यक्त की है बशर्ते भवन योजना के अनुमोदन के समय वे इसके लिए आश्वस्त हों।

इसके अलावा, देश में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए, जोखिम आधारित वर्गीकरण करना होगा, जिससे कुछ श्रेणियों के निर्माण की योजनाओं को तेजी से मंजूरी मिल सकेगी। इन पहलुओं को प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया।

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। दिल्ली -2016 के लिए एकीकृत भवन उप -विधि (यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉ) को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अधिसूचना के लिए तुरंत भेज दिया जाए।

**मद संख्या 12/2016**

**सेक्टर-25, द्वारका में आई एफ एस सी के लिए प्रस्तावित 90 हेक्टेयर क्षेत्र के भूमि उपयोग में  'व्यावसायिक' (सी -2) से 'सार्वजानिक एवं अर्ध सार्वजानिक' (पी एस -1)में परिवर्तन।**

**एफ 3(5)/2011/एम पी /वॉल.- I**

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाये।

**मद संख्या 13/2016**

**दि.मु.यो.-2021 में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए अध्याय 13 सामाजिक अवसंरचना-विकास नियंत्रण मानदंड के संदर्भ में दि. मु. यो.-2021 में संशोधन हेतु प्रस्ताव।**

**एफ.20(01)/2016-एम पी +एफ.15(17)2015/एम पी**

परियोजना के अनूठे स्वरूप को देखते हुए एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अन्य नियंत्रणों की तालिका 13:17 में निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया : -

"प्रदर्शनी का क्षेत्र , सम्मेलन और बैठक क्षेत्र फ्लोर एरिया का न्यूनतम 40% होगा। खुदरा व्यापार, कार्यालय स्थान / वाणिज्यिक कार्यालय, होटल और संबंधित गतिविधियाँ फ्लोर एरिया के अधिकतम 60% तक होगी।"

आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाये।

**मद संख्या 14/2016**

**स्व-घोषणा और पड़ोसी के / आर डब्ल्यू ए के दुरुपयोग के आरोपों की गणना के लिए संपत्ति के उपयोग और लीजहोल्ड संपत्तियों के फ्रीहोल्ड में परिवर्तन आवेदन के समय पर निपटान के संबंध में डीडीए द्वारा परिवर्तन आवेदन पर कार्रवाई करने हेतु निरीक्षण का ताज़ा स्थल निरीक्षण प्रस्तुत करना।**

**एफ 26(1)07/कोर्डिन. (एल डी)**

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

**मद संख्या 15/2016**

**राज्य भवन / राज्य अतिथि गृह के लिए एक अलग श्रेणी शामिल करने के लिए (दिल्ली मुख्‍य योजना-2021) में प्रावधानों की समीक्षा।**

**एफ 20(09)2015/एम पी**

इस मामले को दिल्ली शहरी कला आयोग को उनके सुझाव / टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए भेजनें का निर्णय लिया गया, जिसमें कुछ राज्यों की उच्च एफ ए आर की मांग शामिल है।

**मद संख्या 16/2016**

**नई दिल्ली, जोन-डी में प्रगति मैदान के सामने, भैरों मंदिर रोड पर पुराना किला के पीछे राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के लिए भवन के निर्माण के लिए 2.63 हेक्टेयर क्षेत्रफल का 'मनोरंजनात्मक (जिला पार्क )'से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' सुविधाओं में  भूमि उपयोग के परिवर्तन का प्रस्ताव।**

**एफ.20(5)2015/एम पी**

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाये।

**मद संख्या 17/2016**

**शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अंतिम अधिसूचना के लिए दि. मु. यो.-2021 के अध्याय 19 में संशोधन।**

**एफ 3(53)2003/एम. पी.**

एजेंडा मद को इस निर्णय के साथ टाल दिया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ औपचारिक परामर्श लिया जाएगा।

**मद संख्या 18/2016**

**दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा -57 को अधिसूचित करने के लिए भूमि नीति के संचालन के लिए अनुमोदित नियमों में संशोधन।**

**एफ 15(6)2012/एम पी /पार्ट –II**

एजेंडा मद के पैरा 3.0 के क्रम संख्या 2 में शामिल प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जबकि क्रम संख्या 1 में प्रस्ताव पर सहमति नहीं हुई।

**मद संख्या 19/2016**

**योजना जोन -डी में आने वाले हुमायूं मकबरे, नई दिल्ली के पास सुंदर नर्सरी के संबंध में 17.0 हेक्टेयर क्षेत्र के भूमि उपयोग का  उपयोग 'क़ृषि / हरित पट्टी और जलाशय (प्लांट नर्सरी) से 'मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)' में परिवर्तन का प्रस्ताव।**

**एफ.20(23)2014/एम पी**

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

**मद संख्या 20/2016**

**ओद्योगिक क्षेत्र रोहिणी फेज -v से उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एन डी एम सी) तक के क्षेत्र में कुल 22.46 हेक्टेयर भूमि /क्षेत्रफल अर्थात साइट संख्या 1 से 2 में 2.42 हेक्टेयर, साइट संख्या 1 से 8 में 13.45 हेक्टेयर और साइट संख्या 1 से 10 में 6.59 हेक्टेयर भूमि के लिए इंडस्ट्रियल से 'उपयोगिता' (यू -4 ),ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं में भूमि उपयोग में परिवर्तन।**

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

**मद संख्या 21/2016**

**दक्षिणी दिल्ली- II,जोन-जे में तुगलकाबाद में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डी टी एल) के लिए 400 के वी ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना के लिए 'मनोरंजनात्मक उपयोग'(क्षेत्रीय पार्क) से 'उपयोगिता' हेतु 2.51 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन।**

**एफ 20(33)/2014-एम पी**

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

**मद संख्या 22/2016**

**सेक्टर 2, द्वारका, परियोजना जोन -के II में डी ओ पी टी, भारत सरकार के लिए 'आवासीय' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक'  पर 8670.88 वर्गमीटर के प्लाट के भूमि-उपयोग के परिवर्तन का प्रस्ताव।**

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाये।

**मद  संख्या 23/2016**

**तुगलकाबाद (तेहखंड फेज -II)में जिला पार्क को डीडीए द्वारा जैव वैविध्य पार्क के रूप में विकसित किया जाना है।**

**एफ. पी ए /ए सी (एल एस )/डी डी ए /2016/29**

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

**मद संख्या 24/2016**

**सरकारी क्षेत्र और सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र के लिए सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक भूमि उपयोग श्रेणी के तहत प्लॉटों के लिए विकास नियंत्रण मानदंडों के संदर्भ में दि. मु. यो.2021 के अध्याय 13 आधारिक संरचना में संशोधन का प्रस्ताव।**

**एफ 20(01)/2016-एम पी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव एजेंडा मद के प्रस्ताव बी में तालिका 13:17 के नियंत्रण में निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया था:

2." सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ फ्लोर एरिया की न्यूनतम 40% होनी चाहिए। खुदरा व्यापार, कार्यालय स्थान / वाणिज्यिक कार्यालय, होटल और संबंधित गतिविधियाँ फ्लोर एरिया के अधिकतम 60% तक होगी।"

आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाये।

**मद संख्या 25/2016**

**दिल्ली में नॉन-कन्फर्मिंग क्षेत्र में मौजूद गोदाम समूह के पुन: विकास के लिए विनियमन।**

**एफ 3(84)2010/एम पी**

एजेंडा मद को स्थगित कर दिया गया था।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया।

बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।